Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor: 5.647, Volume 10, No. 03, July, 2020, pp. 297-309

थारू सामाजिक समूह की विशेषताएँः एक अवलोकन

डॉ. नवीन कुमार सिंह*

प्रस्तावना

प्रस्तुत अध्याय थारू समूहों के अध्ययन एवं विवेचन पर केन्द्रित है। क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान थारू समूह के संबंध में कतिपय प्रामाणिक एवं विश्वसनीय तथ्यों का अनुशीलन तथा विवेचन किया गया है। उत्तरदात्रियों से अनुसूची के आधार पर विश्वसनीय एवं प्रामाणिक तथ्यों का संकलन किया गया है। साथ ही थरूहट में क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान अवलोकन, डिजिटल कैमरा तथा थारू परिवार के लोगों से अंतःक्रिया के आधार पर भी महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन किया गया है। इस अध्याय में बिहार की थारू जनजाति की सामाजिक संरचना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में तथ्यों का उपस्थापन किया गया है। इसके अंतर्गत परिवार, प्राथमिक संबधं, प्राथमिक समूह, सामुहिक जीवन, संस्कृति तथा अन्य संबंधित मुद्दों का विवेचन किया गया है। गौरतलब है कि थारू जनजातियों में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन हो रहा है। क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान यह अनुभव किया गया कि थारू जनजाति में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण दिखाई देता है। यह भी अनुभव किया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत थरूहट के दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों का विकास हुआ है। कहीं–कहीं उच्च विद्यालय तथा +2 विद्यालय का भी विकास हुआ है। थरूहट के लड़के तथा लड़कियाँ बेतिया, बगहा तथा अन्य क्षेत्रों में अवस्थित महाविद्यालयों में शिक्षा–दीक्षा प्राप्त करते है। इस प्रकार थारू जनजाति में भी आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी तुलनात्मक रूप से थारू जनजाति बहुत पीछे है। यह भी अनुभव किया गया कि बाह्य संस्कृति के प्रभाव के कारण उनके रहन–सहन में तथा उनके वेशभूषा में बदलाव अनुभव किए जा सकते है। थरूहट के कई गाँवों में यह भी अनुभव किया गया कि बिजली के अभाव के बावजूद सहकारिता के आधार पर जेनेरटर एवं बैट्रा के सहारे टेलीविजन तथा सूचना तकनीक के साधनों का भी लोग उपयोग करते है। अधिकतर थारू परिवारों में मोबाइल का प्रचलन एक आम बात सी हो गयी है। कहीं–कहीं कम्प्यूटर, लैपटॉप का भी उपयोग हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में आवेदन करने के लिए थारू गाँव के अंतर्गत साइबर कैफे तथा ऑनलाइन करने की सहुलियत भी उपलब्ध है। वैवाहिक आयोजनों में भी आधुनिकता का प्रभाव देखा जा रहा है। कुछ शिक्षित लड़कियाँ स्कूटी तथा बाइक का भी उपयोग करती है। बेतिया के लॉज में रहने वाले कॉलेज के छात्र जिन्स पैंट, टी–शर्ट तथा बाइक का इस्तेमाल व्यापक रूपों में करते है। उनमें संगठित राजनीतिक चेतना पैदा हुई है तथा राजनीतिक दलों के द्वारा भी उन्हें प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है। इस प्रकार इन तमाम बिन्दुओं की चर्चा प्रस्तुत अध्याय में की गयी है। इससे पहले कि थारू समाज के संबंध में अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाए, आधुनिकीकरण, शिक्षा तथा सूचनाक्रांति का समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को उपस्थापित करना उचित प्रतीत होता है।

* पूर्व शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, समाज विज्ञान संकाय, सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, झारखण्ड।

आधुनिकीकरण

लर्नर ने आधुनिकीकरण को स्पष्ट करते हुए बताया है कि ''आधुनिकीकरण एक प्राचीन प्रक्रिया के लिए एक समकालीन शब्द है। यह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके अनुसार अल्पविकसित समाजों की विशिष्टताओं को अपनाते है।'' डेनियल लर्नर ने ''इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस' में अपने एक शोध निबंध ''मोर्डनाईजेशन'' में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के विविध आयामों की व्याख्या की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का आर्थिक घटक के साथ स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण संबंध होता है। उनके अनुसार ''आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विकास आर्थिक घटक है।'' लर्नर के विचारों के आधार पर आधुनिकीकरण के संबंध में तीन बिंदुओं का स्पष्टीकरण होता हैः

- आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है।
- आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकास में स्पष्ट संबंध मौजूद है अर्थात् आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में सहायक है। साथ ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आर्थिक विकास हेतु सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायक है।
- आर्थिक संघटक के रूप में औद्योगिकरण, नगरीकरण, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को रेखांकित किया जा सकता है। वस्तुतः आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में औद्योगिकरण, नगरीकरण, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को विकास के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है।

आधुनिक समाज की जटिल संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक पक्षों की व्याख्या में आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण तथा गंभीर समाजशास्त्रीय अवधारणा है। भारतीय सामाजिक संरचना में निहित आधुनिकीकरण के तत्वों की वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय प्रो0 योगेंद्र सिंह को है। प्रो0 योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक ''मोर्डनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन'' तथा ''एसेस ऑन मोडर्नाइजेशन इन इंडिया'' तथा कतिपय विशिष्ट शोध निबंधों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के विविध पक्षों का गंभीर, वस्तुनिष्ठ, तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उनके अनुसार आधुनिकीकरण मूल्यांकन की तार्किक प्रवृत्ति है। वैज्ञानिक विश्व–दृष्टि तथा मानववादी विचार के आधार पर आधुनिकीकरण की व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया वैज्ञानिक विश्व–दृष्टि के साथ संबंधित है। साथ ही इसका स्पष्ट संबंध मानवतावादी विचार के साथ है।

1980 के कालखंड में एक नई वैचारिक चेतना का अनुभव किया जा सकता है। रॉबर्ट कोहेन तथा पॉल कैनेडी ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक मूल्यों तथा आर्थिक उदारीकरण के दौर में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तथा आधुनिकता एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में स्वीकृत हो रही है। प्रख्यात चिंतक फ्रांसिस फूकोयामा का एक विचारोत्तेजक निबंध 'द इन्ड ऑफ हिस्ट्री' ने दुनिया के बुद्धिजीवियों का ध्यान आकर्षित किया। फूकोयामा ने स्पष्ट किया कि वर्चस्व तथा दबाव के दिन लद गए। प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा मानव अधिकार को नई दुनिया में एक नई राह मिल गई है। जाहिर है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मानव समाज के अनवरत बदलते स्वरूपों के विश्लेषण से संबंधित है। यह एक वैज्ञानिक चिंतन है। तार्किक प्रवृत्ति का परिचायक है। यह वैश्विक दृष्टि से जुड़ा हुआ है। इसमें मानवतावादी विचारधारा निहित है। यह रूपांतरण तथा परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा मनुष्य के अधिकारों की व्याख्या का एक आधार है। आधुनिकीकरण मूल्यों पर आधारित है तथा मूल्यों के विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। यह आर्थिक विकास के मापदंड का परिचायक है।

सर्व शिक्षा अभियान

शिक्षा न केवल दक्षता बढ़ाने का साधन है अपितु लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने एवं विस्तृत करने तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की समग्र गुणवत्ता को स्तरोन्नत करने का भी एक कारगर साधन है। भारत की आबादी बहुत बड़ी है। तथा संभावित लोकतंत्र लाभांश को दोहन करने, भयावह क्षेत्रीय, सामाजिक एवं लैंगिक असंतुलनों को दूर करने के लिए सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु समवेत प्रयास करने के लिए वचनबद्ध है क्योंकि केवल मात्रात्मक विस्तार से ही तेजी से बदलते घरेलू एवं वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

केंद्र सरकार ने अपनी अगुवाई में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने और उनके क्रियान्वयन पर नजर रखने के कार्य को जारी रखा है। इन नीतियों में सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा–नीति तथा वह कार्यवाही कार्यक्रम शामिल हैं, जिसे सन् 1992 में अद्यतन किया गया। संसोधित नीति में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत शिक्षा में एकरूपता लाने, प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम को जनांदोलन बनाने, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार व जानकारी देने और अंतर अनुशासनिक अनुसंधान करने, राज्यों मे नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को सुदृढ़ करने तथा खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, योग को बढ़ावा देने एवं सक्षम मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के प्रयास शामिल है। इसके अलावा शिक्षा में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक विकेन्द्रीकृत प्रबंधन ढांचे का भी सुझाव दिया गया है। इन कार्यक्रमों के कार्यन्वयन में लगी इन एजेंसियों के लिए विभिन्न नीतिगत मानकों को तैयार करने हेतु एक विस्तृत रणनीति का भी पीओए मे प्रावधान किया गया है।

एनपीई द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है जिसमें अन्य लचीलें एवं क्षेत्र विशेष के लिए तैयार घटकों के साथ ही एक सामन पाठ्यक्रम रखने का प्रावधान है। जहां एक ओर शिक्षा नीति लोगों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने पर जोर देती है, वहीं वह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को मजबूत बनाने की आह्न भी करती है। शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम 6 प्रतिशत धन लगाने पर जोर देती है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए है या प्रस्तावित किए है। कुछ नए प्रायोगिक स्कूल, शिक्षण सेक्टर और उच्चतम एवं तकनीकी शिक्षण सेक्टर जिसमे बच्चों का निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार विधेयक, माध्यमिक स्कूलों एवं मुक्त दूरस्थ शिक्षा में आईसीटी पर प्रारूप नीति तेयार की गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का प्रारूप तैयार किया है। यह रूपरेखा एनसीएफ 2005 की पृष्ठभूमि मे तैयार की गई है जिसने शिक्षक शिक्षा पर एक परिवर्तित रूपरेखा को आवयश्यक बनाया जो एनसीएफ 2005 मे संस्तुत स्कूली पाठ्यक्रम के परिवर्तित दर्शन से संगत हो। सीबीएसई ने स्वयं से संबद्ध स्कूलों के प्रत्यायन की प्रक्रिया आरंभ करने का प्रस्ताव है। यश पाल कमेटी और राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन ने विश्वस्तरीय 14 नवचार विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। 10 नए एनआई खोलने का प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। शैक्षिक रूप से पिछड़ें जिलों के रूप में अभिचिन्हित 374 जिलों में से ऐसे प्रत्येक जिले में मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना आरंभ की गई है जहां उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय जीआर से कम है। कमजोर वर्गों एवं अल्पसंख्यकों की पर्याप्त आबादी वाले जिलों मे स्थित उच्च शिक्षा संस्थाओं मे 150 महिला छात्रावास संस्वीकृत किए गए है। अन्य केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षण सुधार शिक्षा के लिए संसाधनो को बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ कतारबद्ध है, वर्षो मे शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रूपए परिव्यय की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए 2,69,873 करोड़ रूपए है। जिनमे से 84.943 करोड़ रूपए के उच्च शिक्षा और 18,4930 करोड़ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए वितरित किए गए। अनुमोदित वार्षिक योजना में 9,600 करोड़ उच्च शिक्षा विभाग और 26,800 करोड़ रूपए स्कूली शिक्षा विभाग और शिक्षा को दिए।

2001 में आरंभ हुआ सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए भारत में सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक है। इसके समग्र लक्ष्यों में प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक पहुँच एवं अवधारणा, लैंगिक एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को पाटना और बच्चों के अध्ययन स्तर मे महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त करना होता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं तथा देश के 1203 लाख बस्तियो में अनुमानित 19.4 करोड़ बच्चे इसके अतर्गत आते है।

- सभी बच्चे 2005 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल ''बैक टू स्कूल'' कैंप मे हो।
- जीवन के लिए शिक्षापर बल के साथ संतोषप्रद गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा पर बल।

सर्वशिक्षा अभियान ने सहयोग दिया है : 3,02,872 नए स्कूल खोलने, 2,42,608 स्कूल इमारतों के निर्माण, कार्यरत स्कूलों मे 10,77,729 नए कक्षा बनवाने, 192,486 स्कूलों मे पीने के पानी की सुविधा, 3,19,607 स्कूलों मे शौचालय का प्रावधान, 10.30 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ बच्चों को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध करवाया, लगभग 35 लाख शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण का सहयोग, 2573 केजीबीवी की स्थापना हुई जिसें 2,63,600 कन्याओं का दाखिला किया गया जिसमें पिछड़ी जाति, पिछड़ी जनजाति, मुस्लिम और बीपीएल समूह में ली गई है। सर्वशिक्षा अभियान मे वार्षिक तौर पर 15,000 करोड़ रूपए है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत न केवल 99 प्रतिशत बच्चों की प्राथमिक स्कूल में भागीदारी बढ़ाई है बल्कि 3–4 प्रतिशत 6–14 वर्ष के बच्चों को स्कूल छोड़कर जाने से भी रोका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर बालिका, पिछड़ी जाति/ जनजाति के बच्चे अन्य कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक और शहरी गरीब बच्चों पर ध्यान दिया गया।

शिक्षा का अधिकार

शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के समग्र सशक्तिकरण के लिए आधारभूत मानव मौलिक अधिकार है। यूनेस्कों की शिक्षा के लिए वैश्विक मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2010 के मुताबिक, लगभग 135 देशों ने अपने संविधान मे शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है तथा मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए संविधान में प्रतिबद्धता का प्रावधान किया था। इसे अनुच्छेद 45 के तहत राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतो में शामिल किया गया है। 12 सितंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21ए को संशोधित करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत छह से लेकर चौदह वर्ष के सभी बच्चो के लिए शिक्षा का पूर्णतः मुफ्त एवं अनिवार्य कर दिया गया है। अब यह केंद्र तथा राज्यों के लिए कानूनी बाध्यता है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को सुलभ हो सके।

सूचनाक्रांति

प्रख्यात समाजशास्त्री प्रो0 श्यामाचरण दुबे[4] के अनुसार संदेश दे और ले सकने की क्षमता ने मानव के सामाजिक अंतर्संबंधों को एक विशेष स्वरूप दिया है। इस क्षमता का विकास इन संबंधों के क्षेत्र को विस्तारित और पुष्ट करता है। विचारों को स्थायित्व दे सकने की योग्यता जिस गति से विकसित हो गयी, उसी गति से उनकी संस्कृति की विविधता और जटिलता भी बढ़ती गयी। सीमित संचार–साधनों के काल में मानव समाज छोटी–छोटी स्वतंत्र इकाइयों में खंडित रहा, इसके विपरीत, जनसंचार के माध्यमों के अभूतपूर्व विकास ने समसामयिक विश्व को संकुचित कर एक बड़ा–सा गाँव बना दिया है।

ऑगबर्न[5] ने 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'Social Change' में स्पष्ट किया है कि रेडियों के आविष्कार के साथ 150 प्रकार के परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है। जाहिर है कि संचार तकनीकों तथा साधनों के माध्यम से समाज में एक नए युग का आरंभ हुआ है। इसके विकास के कारण भारत में पश्चिमीकण की प्रक्रिया को एक गतिशील आधार प्राप्त हुआ। साथ ही वैज्ञानिकता तथा तार्किकता का विकास हुआ है। फलतः आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। संचार साधनों ने आर्थिक विकास को सुदृढ़ किया है। वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान दौर में संचार साधनों की उल्लेखनीय भूमिका है। प्रस्तुत शोध हेतु निदर्शन पद्धति के आधार पर 200 उत्तरदात्रियों का चयन किया गया है। इसमें थारू जनजाति की महिलाओं को शामिल किया गया है। अध्ययन के आरंभ में ही उत्तरदात्रियों के सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य संबंधित पृष्ठभूमि का प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर विवेचन किया गया है। वस्तुतः समाजशास्त्रीय शोध में उत्तरदात्रियों की पृष्ठभूमि का विशेष महत्व होता है। तथ्यों के सत्यापन में तथा सूचनाओं के विवेचन में उत्तरदात्रियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना अपेक्षित होता है।

उत्तरदात्रियों की पृष्ठभूमि को रेखांकित करने के लिए सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षणिक प्रस्थिति से संबंधित उपागमों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार निदर्शन के आधार पर चुनी गई उत्तरदात्रियों से उनकी सामाजिक प्रस्थिति के संबंध में सूचनाओं का संकलन किया गया है। चूँकि आर्थिक प्रस्थिति का व्यक्तित्व के निर्धारण में विशेष महत्व होता है, अतः आर्थिक प्रस्थिति के सबंध में भी जानकारी हासिल की गयी।

प्रस्थिति

प्रस्थिति व्यक्ति की पहचान की परिचायक है। समाजशास्त्र में प्रस्थिति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। राल्फ लिंटन ने 1936 में प्रकाशित अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक 'द स्टडी ऑफ मैन' में प्रस्थिति की अवधारणा का विश्लेषण किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक सुनिश्चित प्रस्थिति होती है तथा प्रस्थिति के अनुरूप समाज उस व्यक्ति से व्यवहार की अपेक्षा रखता है। उदाहरणस्वरूप एक व्यक्ति शिक्षक है। इस प्रकार उस व्यक्ति की पहचान शिक्षक के रूप में है। अतः वह शिक्षक की प्रस्थिति को प्राप्त करता है। समाज उस व्यक्ति से शिक्षक के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा रखता है।

आर0 बियरस्टेड ने अपनी पुस्तक 'द सोशल ऑर्डर' में स्पष्ट किया है कि सामाजिक दायरे में प्रस्थिति का विशेष महत्व है। उनके अनुसार अधिकारों, दायित्वों, विशेषाधिकारों आदि का स्पष्ट संबंध प्रस्थिति के साथ है। उनके अनुसार व्यक्ति अपनी प्रस्थितियों के आधार पर ही अधिकारों तथा कर्तव्यों से संबंधित होता है।

बियरस्टेड ने यह भी स्पष्ट किया है कि समूह संबंध, समूह सदस्यता अथवा समूह व्यवस्था से व्यक्ति अपनी प्रस्थिति को प्राप्त करता है। उदाहरणस्वरूप एक व्यक्ति परिवार में पिता की स्थिति प्राप्त करता है, मित्र समूहों में मित्र की प्रस्थिति प्राप्त करता है, क्रिकेट टीम में कप्तान की प्रस्थिति प्राप्त करता है। इस प्रकार समूह के दायरें में ही किसी व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण होता है। अतः प्रस्थिति किसी भी व्यक्ति द्वारा समूह अथवा समाज में प्राप्त हुई स्थिति को कहते है।

प्रदत्त प्रस्थिति

साधारणतः जन्म के आधार पर व्यक्ति प्रदत्त प्रस्थिति को प्राप्त करता है। अर्जित प्रस्थिति व्यक्ति योग्यता, क्षमता तथा निरंतर प्रयास के आधार पर प्राप्त करता है। प्रदत्त प्रस्थिति की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता हैः

- किसी भी व्यक्ति की प्रदत्त प्रस्थिति सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित की जाती है। उदाहरणस्वरूप कौन व्यक्ति किस जाति का है तथा कौन व्यक्ति किस धर्म का है, इसका निर्धारण सामाजिक व्यवस्था के द्वारा होता है। व्यक्ति जन्मजात रूप में इन प्रस्थितियों को प्राप्त करता है।
- प्रदत्त प्रस्थिति जैविकीय विशेषताओं से भी संबंधित है। उदाहरणस्वरूप उम्र, लिंग तथा प्रजाति आदि का निर्धारण जैविकीय विशेषताओं से जुड़ा हुआ है।
- प्रदत्त प्रस्थिति साधारणतः व्यक्ति चार आधारों पर प्राप्त करता है। लुंडबर्ग के अनुसार लिंग–भेद, आयु–भेद, नातेदारी के संबंध तथा सामाजिक कारक के आधारों पर व्यक्ति प्रदत्त प्रस्थिति को प्राप्त करता है।
- अर्जित प्रस्थिति
- अर्जित प्रस्थिति की अवधारणा को निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है :
- व्यक्तिगत प्रयासों तथा क्षमताओं के आधार पर जब कोई अपनी स्पष्ट पहचान बनाने में सफल होता है तो उस पहचान के आधार पर वह अर्जित प्रस्थिति को प्राप्त करता है। एक इंजीनियर जन्म से इंजीनियर नहीं होता है। एक डॉक्टर जन्म के आधार पर डॉक्टर नहीं बन सकता है। एक विद्वान अथवा एक सफल शिक्षक अथवा एक सफल अभिनेता जन्म के आधार पर ही अपनी पहचान नहीं बना सकता है। व्यक्ति लगातार प्रयास और संघर्ष के बाद डॉक्टर या इंजीनियर या शिक्षक की प्रस्थिति को अर्जित करने में सफल होता है।
- अर्जित प्रस्थिति का संबंध जन्म से नहीं होता। इसका संबंध क्षमता तथा योग्यता से जुड़ा होता है।

- साधारणतः अर्जित प्रस्थिति का संबंध द्वतियक समूहों के साथ जुड़ा होता है। अतः अर्जित प्रस्थिति साधारणतः औपचारिक संबंधों के बीच विकसित होती है।
- अर्जित प्रस्थिति में तुलनात्मक रूप में गतिशीलता का तत्व अधिक मौजूद होता है। उदाहरणस्वरूप एक व्यक्ति एम0बी0बी0एस0 की डिग्री प्राप्त करता है तथा डॉक्टर बन जाता है। पुनः प्रयास करके योग्यता तथा क्षता के आधार पर एम0डी0 की डिग्री प्राप्त कर लेता है। अधिक मेधावी तथा साधन संपन्न होने पर वह विदेशों में जाकर भी मेडिकल की प्रतिष्ठित डिग्रियों को प्राप्त करने में सफल होता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की प्रस्थिति में लगातार उदग्र गतिशीलता के संकेत मिलते है। इसी तरह गलत काम करने पर अथवा शिथिल होने पर व्यक्ति की अर्जित प्रस्थिति का अवमूल्यन भी हो सकता है।

भूमिका

प्रस्थिति तथा भूमिका परस्पर संबंधित अवधारणाएँ है। सामाजिक संरचना, प्रकार्य तथा व्यवस्था के विश्लेषण में प्रस्थिति एवं भूमिका की व्याख्या अपेक्षित है। प्रस्थिति के अनुरूप व्यक्ति को भूमिका प्राप्त होती है। उदाहरणस्वरूप एक व्यक्ति की प्रस्थिति भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की है। अतः उसकी भूमिका भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के अनुरूप होती है। एक व्यक्ति की प्रस्थिति चिकित्सक की है। अतः उसकी भूमिका मरीजों के इलाज से संबंधित है। एक व्यक्ति की प्रस्थिति अभिनेता की है। अतः उसकी भूमिका अभिनय से संबंधित है। एक व्यक्ति की प्रस्थिति पिता की है अतः समाज यह अपेक्षा करता है कि वह व्यक्ति अपनी भूमिका के अनुरूप दायित्वों का परिपालन करे।

राल्फ लिंटन[8] ने अपनी पुस्तक 'द स्टडी ऑफ मैन' में भूमिका की अवधारणा की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने अपनी एक अन्य पुस्तक 'द कल्चरल बैकग्रांउड ऑफ पर्सनालिटी में भी भूमिका की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस संबंध में उनका एक उल्लेखनीय शोध–निबंध 'कॉन्सेप्ट ऑफ रोल एंड स्टेटस' का प्रकाशन 1947 ई0 में हुआ। लिंटन ने निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर भूमिका की अवधारणा को स्पष्ट किया हैः

- लिंटन के अनुसार भूमिका प्रस्थिति का एक गत्यात्मक पहलू है। जिस प्रकार शब्द और अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता अर्थात् शब्द और अर्थ परस्पर संबंधित है, जिस प्रकार समुद्र और लहर को अलग नहीं किया जा सकता है अर्थात् समुद्र और लहर परस्पर संबंधित है उसी तरह प्रस्थिति तथा भूमिका को भी अलग नहीं किया जा सकता अर्थात् प्रस्थिति तथा भूमिका परस्पर संबंधित है। यही कारण है कि राल्फ लिंटन ने स्पष्ट किया है कि प्रस्थिति का दूसरा पहलू भूमिका है।
- लिंटन ने भूमिका को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि भूमिका शब्द का प्रयोग सांस्कृतिक प्रतिमानों तथा विशिष्ट प्रस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि भूमिका की व्याख्या के लिए मनोवृत्ति, मूल्य तथा व्यवहार का विश्लेषण भी अपेक्षित है। लिंटन के अनुसार भूमिकाओं के निर्धारण में मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा व्यवहारों का भी समावेश होता है।

भूमिका संघर्ष

वर्तमान जटिल सामाजिक परिवेश में भूमिका संघर्ष की अधिक घटनाएँ घटित होती है। एक व्यक्ति अनेक प्रस्थितियों से जुड़ा होता है। प्रस्थितियों के अनुरूप अनेक प्रकार की भूमिकाओं से भी एक व्यक्ति संबंधित हो जाता है। सामाजिक अपेक्षाओं, दबावों, विवशताओं तथा अन्य जटिलताओं के कारण जब एक व्यक्ति अपनी भूमिकाओं के अनुरूप दायित्वों के पालन में विभिन्न प्रकार के संघर्षो से गुजरता है तो उस स्थिति को भूमिका संघर्ष कहते है। विलियम गुडे ने स्पष्ट किया है कि साधारणतः लोग वहीं करना चाहते है जो उनके द्वारा करने की अपेक्षा की जाती है। भागती–दौड़ती दुनिया में हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता है। साथ ही जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं का निर्वाह एक साथ करना होता है तो भूमिका संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। उदाहरणस्वरूप एक महिला चिकित्सक को पत्नी के रूप में भूमिका का निर्वाह भी करना होता है। साथ ही एक

सफल चिकित्सका के रूप में मरीजों का इलाज भी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पति तथा परिवार के लोग चाहते है कि वह घरेलू महिला की भूमिकाओं के अनुरूप अपने दायित्वों का पालन करे। यदि वह घर में बैठी रहती है तो उसके नर्सिग होम से मरीज निराश होकर चले जाते है। वह किसको क्या जवाब दे? पति चाहता है कि पत्नी के रूप में उसे दाम्पत्य जीवन का प्यार मिले। पत्नी चाहती है कि दाम्पत्य जीवन में रहकर भी एक सफल डॉक्टर की ख्याति अर्जित करे। वह क्या करे और क्या न करे– एक संकट, एक तनाव तथा एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी संकट, तनाव और संघर्ष की स्थिति को भूमिका संघर्ष कहते है।

आयु संरचना

भारतीय सामाजिक संरचना में उम्र का अपना एक अलग महत्व है। उम्र के आधार पर व्यक्ति की पहचान बनती है। जैसे एक महीने के बच्चे को नवजात शिशु के रूप में पहचान मिलती है जबकि अधिक उम्र में महिला की पहचान दादी माँ अथवा नानी माँ के रूप में बन जाती है। परंपरागत भारतीय समाज में उम्र दराज व्यक्ति को सहज रूप में आदर प्रदान करने की प्रथा रही है। उनकी बातों को ध्यान से सुनी जाती है तथा उनके आदेशों का पालन करने की भी परंपरा रही है। गौरतलब है कि आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, संयुक्त परिवार के विघटन एवं सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि के कारण अब उम्र दराज व्यक्ति को भी उपेक्षा और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। अब भारतीय समाज में भी उम्र का कोई विशेष लिहाज नहीं रह गया है। प्रतिष्ठा का मानदंड बदल रहा है। इन परिवर्तनों के बावजूद घर में बुजुर्ग महिलाओं की अपनी हैसियत है। जवान महिलाओं की अलग पहचान है। किशोरावस्था की लड़कियों का एक अलग तौर–तरीका है। व्यवहार प्रतिमान तथा सामाजिक अंतःक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार उम्र है। विभिन्न उम्र की महिलाओं की अलग–अलग समस्या होती है। छोटी–छोटी लड़कियों की अपनी समस्या है। उनमे स्कूल जाने की ललक होती है। उनमे दुनिया देखने की उत्सुकता होती है। उनमे घुमने तथा खेलने का जुनुन होता है। किशोरावस्था में मन चलचल हो जाता है परंतु शरीर के विकास के कारण लड़कियों में संकोच तथा लज्जा का उदय होता है। उनमे दुनिया के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न होता है। शारीरिक स्तर पर तीव्र परिवर्तन के कारण उनके स्वास्थ्य तथा चिंतन में भी एक नयापन दिखलाई देता है। शादी के बाद लड़कियों के जीवन में एक नया दौर आरंभ होता है। युवती महिलाएँ घर–परिवार बसाती है, माँ बनती है। इस प्रकार उम्र के इस दौर में उनका जीवन स्नेह, दाम्पत्य तथा मातृदायित्व से परिपूर्ण होता है। 45–46 के बाद उम्र के पड़ाव में महिलाओं के जीवन में एक प्रौढ़ता परिलक्षित होती है। रजोनिवृति के बाद महिलाओं के जीवन में एक विशेष परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधित कई प्रकार की समस्याओं से उन्हें जुझना पड़ता है। धीरे–धीरे वृद्धावस्था की ओर कदम रखती हुई चली जाती है। एंथोनी गिडेन्स ने स्पष्ट किया है कि सभी समाजों में उम्र संरचना का विशेष महत्त्व होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बचपन तथा किशोरवय में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। इसके विपरीत वृद्धावस्था में समाजीकरण की गति शिथिल पड़ जाती है। साथ ही भारतीय सामाजिक संरचना में संयुक्त परिवार के विघटन की प्रक्रिया के कारण परिवार में वृद्धों की उपेक्षा एक आम बात हो गयी है। विशेष तौर पर जवान सदस्यों का प्रवास में होने के कारण उनका देखभाल सही रूपों में नहीं हो पाता है।

तालिका 1: उम्र

आयु	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	30	15.00
26 से 45	56	28.00
46 से 55	64	32.00
56 से अधिक	50	25.00
योग	200	100.00

उत्तरदात्रियों के उम्रों तथा उम्र संरचना के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन के दौरान युवावस्था से लेकर अधिक उम्र की महिलाओं को अध्ययन के लिए शामिल किया गया। परिवार के कुछ बच्चों से भी पारिवारिक वातावरण जानने के लिए जानकारी हासिल की गयी। उत्तरदात्रियों में 200 महिलाओं से संपर्क एवं संवाद स्थापित किया गया। अध्ययन के दौरान सबसे अधिक 46 से 55 वर्ष की उत्तरदात्रियों को शामिल किया गया है। इसके विपरीत सबसे कम 25 से 35 वर्ष आयु की उत्तरदात्री पाई गई।

धर्म संरचना

भारतीय समाज में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म से मृत्यु तक तथा मृत्यु के बाद भी लोग धर्म के आधार पर अपने जीवन को पाक–साफ करने का प्रयास करते है। हिन्दू धर्म देवी देवताओं, पूजा कर्मकांडों तथा वेद उपनिषद पर आधारित है। महिलाओं में रामायण, महाभारत का प्रवचन अधिक प्रभावकारी सिद्ध होता है। धार्मिक भजन तथा गीत आदि से उन्हे अधिक लगाव होता है। विभिन्न अवसरों पर धर्म के जरिए उपवास तथा प्रार्थना में उनका अधिक विश्वास होता है। गौरतलब है कि हिन्दू धर्म में कई प्रकार के पर्व त्योहारों का आयोजन किया जाता है। पर्व–त्योहार के अवसर पर नातेदार, रिश्तेदार तथा मित्र बंधु को आमंत्रित किया जाता है। प्रसाद, मिठाई तथा भोजन आदि का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार हिन्दू धर्म में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका धर्म से संबंधित होती है। समाज वैज्ञानिक मैक्स वैबर ने अपने धर्म के विवेचन में हिंदू धर्म की भी व्याख्या की है। उनके अनुसार हिंदू धर्म मे कर्म को प्रधानता दी गई है। साथ ही हिंदू धर्म में अनेक पंथ तथा विभिन्न देवी–देवता मौजूद है। एक ही परिवार में कोई मांस मछली को देखना नहीं चाहता है तो उसी परिवार का दूसरा सदस्य मांसाहारी होता है। सबका अपना–अपना मत है। सबका अपना–अपना पंथ है। कोई विशेष बंधन नहीं है। पंरतु हिंदू धर्म में कर्मकांड के बिना पूजा–अर्चना पूरा नहीं हो पाता है। अतः पंडित पुरोहित के बिना हिंदू समाज में किसी भी धार्मिक आयोजन की कल्पना नहीं की जा सकती है। विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि धर्म का प्रकार्यात्मक महत्व है परंतु धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ हिन्दू समाज मे कई सदियों तक अनाचार होता रहा है। उन्हे वेद पढ़ने की आजादी नहीं थी। शिक्षा के दरवाजे उनके लिए बंद थे। धर्म के नाम पर सती प्रथा का प्रचलन बर्सो तक रहा। धर्म के नाम पर आज भी कई क्षेत्रों मे बाल–विवाह की प्रथा जारी है। धर्म के नाम पर जवान लड़की को विधवा होने के बाद कई प्रकार के अत्याचारों को चुपचाप सहन करना पड़ रहा है। जाहिर है कि धर्म का सही उपयोग होने पर आदमी फरिस्ता बन जाता है। परंतु यदि धर्म का व्यापारीकरण हो जाता है तो इसका परिणाम समाज के लिए घाटक सिद्ध होता है।

तालिका 2: धर्म

धर्म	संख्या	प्रतिशत
हिन्दू	200	100.00
इस्लाम	00	00.00
ईसाई	00	00.00
अन्य	00	00.00
योग	200	100.00

थारू जनजाति हिन्दू धर्म से संबंध रखते है। इसलिए अध्ययन के लिए शत प्रतिशत उत्तरदात्रियों का चयन हिन्दू धर्म से ही किया गया। तालिका 1.2 के आधार पर उपरोक्त तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है।

शिक्षा

मनुष्य का जन्म एक जैविकीय प्राणी के रूप में होता हैं तथा समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसका रूपांतरण सामाजिक प्राणी के रूप में होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का प्रकार्यात्मक महत्त्व है। व्यकित के विकास में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो0 अमर्त्य सेन ने स्पष्ट किया है कि मानव जीवन शिक्षा के बिन अधूरा हैं। शिक्षा का संबंध जागरूकता के साथ है। शिक्षा के

संबंध नए–नए वैज्ञानिक आविष्कारो के साथ है। शिक्षा रोजगार से संबंधित हैं। समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिमक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण तथा उत्तर आधुनिकता से संबंधित मुद्दों के विश्लेषण में शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार समाजशास्त्रियों ने शिक्षा तथा समाज के बीच व्याख्या प्रस्तुत की है। बेबलन (1918), एमिल दुर्खाइम (1922), नैनिकी (1940) और बी0 गार्डेन चाइल्ड ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के विविध आयामों का विश्लेषण किया है। उल्लेखनीय है कि समाज और शिक्षा के पारस्परिक संबंधों पर गहराई से विचार करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र में शिक्षा के समाजशास्त्र का विकास हुआ है। प्लाउड तथा हाल्सी ने इस शाखा के विभिन्न पक्षों का सर्वेक्षण किया है।

तालिका 3: शैक्षणिक स्तर

शैक्षणिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	80	40.00
शिक्षित	48	24.00
मैट्रिक	30	15.00
अन्तर स्नातक	24	12.00
स्नातक	14	07.00
तकनीकी शिक्षा	04	02.00
अन्य	00	00.00
योग	200	100.00

अध्ययन के लिए महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति का भी पता लगाया गया। जाहिर है कि हाल के वर्षों में उनके शैक्षणिक स्तर में तेजी से विकास हुआ है। अध्ययन के दौरान उत्तरदात्रियों के शैक्षणिक स्तर के विवेचन से स्पष्ट होता है कि तकनीकी शिक्षा के प्रति भी महिलाओं में आकर्षण का अनुभव किया गया। 02 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का शैक्षणिक उपलब्धि तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हुआ था। मैट्रिक, अंतर स्नातक उपाधि प्राप्त उत्तरदात्रियों की संख्या भी संतोषजनक पायी गयी।

आर्थिक संरचना

आर्थिक संस्थाएँ समाज के उत्पादन और वितरण प्रणाली के संगठन से संबंधित हैं। व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं पर समाज के नियमों तथा पद्धतियों का नियंत्रण होता है। उत्पादन और उपभोग के लिए किए जाने वाले विविध कार्यो को आर्थिक क्रिया के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। कोई भी आदमी भोजन, वस्त्र, आवास और सुरक्षा के बिना स्वस्थ नहीं रह सकता है। समाज में आर्थिक क्रियाएँ और आर्थिक आवश्यकता मूलभूत तत्त्व है। अतः समाजशास्त्रीयों ने आर्थिक संस्थाओं का गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वैबर के अनुसार आर्थिक क्रियाएँ वे क्रियाएँ हैं जिनमें कर्ता अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए संसाधनों को विवेकपूर्ण एवं शांतिपूर्ण प्रयोग करता है। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक व्यवस्था समाजिक प्रणाली की एक उपप्रणाली है। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार उत्पादन का साधन ही बुनियादी कारक है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक कारक ही आधारभूत कारक है। समाज के अन्य पक्ष, जैसे – धर्म, कानून, राज्य, दर्शन, विचारधारा, आदि आर्थिक आधार पर निर्भर हैं। इन पक्षों को मार्क्स ने आर्थिक आधार की अधिरचनाओं के रूप में प्रस्तुत किया है।

तालिका 4: परिवार का प्रकार

परिवार का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
एकाकी परिवार	80	40.00
संयुक्त परिवार	74	37.00
विस्तारित परिवार	46	23.00
अन्य	00	00.00
योग	200	100.00

भारतीय संरचना में औद्योगिकीकरण, बाजारवाद, आर्थिक उदारवाद, उपभोक्तावाद तथा सूचनाक्रांति के कारण संयुक्त परिवार के विघटन की प्रक्रिया तीव्र है। फलतः भारतीय संरचना में भी एकाकी परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तरदात्रियों के परिवार के प्रकार के संबंध में सूचनाओं का संकलन किया गया। संकलित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि 40 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का परिवार एकाकी पाया गया। 37 प्रतिशत परिवार अभी भी संयुक्त परिवार के दायरे में है। 23 प्रतिशत परिवार विस्तारित पाया गया। परंतु संयुक्त परिवारों में असंतोष पाया गया। साक्षात्कार के दौरान उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया कि अधिकतर संयुक्त परिवारों में महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। अतः अब लोग एकाकी परिवार की ओर अग्रसर है।

व्यवसायिक संरचना

भारतीय ग्रामीण संरचना में आरंभ से ही अधिकतर लोग व्यवसाय के तौर पर कृषि अर्थव्यवस्था किसी–न–किसी रूप में संबंधित रहे है। साथ ही गाँव में जाति व्यवसाय का भी वर्चस्व रहा है। परन्तु अब गाँव में भी रोजगार के नए–नए अवसर लोगों को मिल रहे है। अतः कम शिक्षित अथवा सुशिक्षित व्यक्ति की पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी के प्रति बढ़ती जा रही है। साथ ही व्यापार का प्रबंधन भी ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के वर्षों में तेजी के साथ विकसित हुआ है। ईंट–भट्टा, खाद्य व्यापार, चिकित्सा तथा अन्य ऐसे कई रोजगारों के साथ गाँव के लोग जुड़ते जा रहे है। फलतः व्यवसायिक संरचना में गतिशीलता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने भी अपनी पुस्तक 'एन इंडियन विलेज' तथा 'इंडियाज चेजिंग विलेज' में इन तथ्यों का उपस्थापन किया है।

तालिका 4: परिवार का व्यवसाय

व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
परंपरागत व्यवसाय	40	20.00
कृषि	54	27.00
सरकारी नौकरी	10	05.00
प्राईवेट नौकरी	20	10.00
दुकानदारी	26	13.00
दुकान पर काम करने वाला	28	14.00
दहारी मजदूरी	22	11.00
योग	200	100.00

तालिका 4 में उत्तरदात्रियों के पारिवारिक व्यवसाय को दर्शाया गया है। तालिका के अनुसार 20 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार के सदस्य अपने परंपरागत व्यवसायों से जुड़े हुए पाए गए। जबकि 05 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी करते है तो 10 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार के सदस्य प्राइवेट नौकरी करते हुए पाए गए। ठीक उसी तरह 13 प्रतिशत उत्तरदत्री के परिवार अपना दुकान चलाते है। 14 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार के सदस्य दुसरे दुकान में नौकरी करते है। दहारी मजदूरी करने वाले उत्तरदात्री के परिवार की संख्या 11 प्रतिशत पायी गयी।

तालिका 5: क्या थारू जनजाति में प्राथमिक संबंधों पर अधिक महत्व दिया जाता है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	24	12.00	06	03.00
26 से 45	36	18.00	20	10.00
46 से 55	48	24.00	16	08.00
56 से अधिक	48	24.00	02	01.00
योग	156	78.00	44	22.00

प्रस्तुत अध्ययन थारू जनजाति के संबंध में अध्ययन किया गया है। थारू जनजाति में पारिवारिक संबंधों की व्याख्या की गयी है। जाहिर है कि थारू जनजाति में प्राथमिक संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पारिवारिक समायोजन थारू जनजाति में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अध्ययन के दौरान भी अधिकांश उत्तरदात्रियों का उपरोक्त तथ्यों के संबंध में सकारात्मक उत्तर पाया गया। तालिका 5 के आधार पर उपरोक्त तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है।

तालिका 6: क्या थारू समूह में प्राथमिक समूहों में आप घनिष्ठ संबंध पाते है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	20	10.00	10	05.00
26 से 45	36	18.00	20	10.00
46 से 55	32	16.00	32	16.00
56 से अधिक	32	16.00	18	09.00
योग	120	60.00	80	40.00

परिवार एक प्राथमिक समूह है। परिवार से अलग कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। परिवार में व्यक्ति माता–पिता, भाई–बहन, दादा–दादी आदि से जुड़ा हुआ होता है। थारू समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण दायित्व है। प्राथमिक समूहों पर थारू समूह में विशेष ध्यान दिया जाता है। विवाह, पर्व–त्योहार को पूरा परिवार एक साथ मिलकर मनाते है। गौरतलब है कि थारू समाज में पारिवारिक संवेदना बहुत ही प्रखर है। अध्ययन के दौरान भी अधिकांश उत्तरदात्रियों का सकारात्मक उत्तर पाया गया।

तालिका 7: क्या थारू समूह में धार्मिक उत्सवों पर अधिक ध्यान दिया जाता है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	22	11.00	08	04.00
26 से 45	36	18.00	20	10.00
46 से 55	48	24.00	16	08.00
56 से अधिक	48	24.00	02	01.00
योग	154	77.00	46	23.00

प्रस्तुत अध्ययन थारू समूह पर केन्द्रित है। थारू समाज भारतीय समाज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जनजातीय समाज है। थारू समाज के अंतर्गत धार्मिक उत्सवों की अहम भूमिका है। प्रत्येक धार्मिक उत्सवों में थारू समाज के लोग बढ़–चढ़कर भाग लेते हैं। धार्मिक उत्सवों के समय में थारू समाज के लोग मिलजुल कर इसका आयोजन करता है। अध्ययन के दौरान अधिकांश उत्तरदात्रियों का उपरोक्त तथ्यों के संबंध में सकारात्मक उत्तर पाया गया।

तालिका 8: क्या थारू समूहों में मांसाहारी खानपान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	16	08.00	14	07.00
26 से 45	40	20.00	16	08.00
46 से 55	44	22.00	20	10.00
56 से अधिक	32	16.00	18	09.00
योग	132	66.00	68	34.00

थारू समाज खानपान में बहुत आगे है। खासकर मांसाहारी खानपान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। थारू समाज के लोग मांसाहारी खाने के कारण शरीर से मजबूत भी होते है। अधिकांश थारू समाज के लोग मांसाहारी होते है। वे अधिकांश खानपान पर ही ध्यान देते है। थारू समाज में मछली खाने का अधिक प्रचलन है। अध्ययन के दौरान भी अधिकांश उत्तरदात्रियों का सकारात्मक उत्तर पाया गया। तालिका 8 के आधार पर उपरोक्त तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है।

तालिका 9: क्या थारू समूहों में परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र होती हुई दिखाई देती है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नही	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	20	10.00	10	05.00
26 से 45	40	20.00	16	08.00
46 से 55	32	16.00	32	16.00
56 से अधिक	32	16.00	18	09.00
योग	124	62.00	76	38.00

भारत में 1990 के बाद वैश्वीकरण का आगाज हुआ है। भारत अभी आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है। थारू समाज में भी परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र हो उठी है। थारू समाज के लोग भी वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे है। थारू समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र हो उठी है। सूचनाक्रांति से थारू समाज जुड़ रहे है। अध्ययन के दौरान 62 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का सकारात्मक उत्तर पाया गया।

तालिका 10: क्या थारू समूहों में सूचनाक्रांति के प्रभावों का भी अनुभव किया जा रहा है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	10	05.00	20	10.00
26 से 45	42	21.00	14	07.00
46 से 55	40	20.00	24	12.00
56 से अधिक	30	15.00	20	10.00
योग	122	61.00	78	39.00

थारू समाज में सूचनाक्रांति का प्रभाव तीव्र हुआ है। अधिकांश लोग सूचनाक्रांति से जुड़ रहे है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, लैपटॉप का उपयोग थारू समाज के लोग कर रहे है। गौरतलब है कि सूचनाक्रांति ने समाज में एक नए दौर को उत्पन्न किया है। थारू समाज भी सूचनाक्रांति से जुड़ गए है। अध्ययन के दौरान अधिकांश उत्तरदात्रियों का सकारात्मक उत्तर पाया गया। इसके विपरीत 39 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्पष्ट किया कि शिक्षा की कमी के कारण अभी तक सूचनाक्रांति का संपूर्ण रूप से उनमें प्रचार नहीं हो पाया है।

तालिका 11: क्या थारू समूहों में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का भी अनुभव किया जा रहा है?

उम्र समूह स्तर	अभिमत			
	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25 से 35	16	08.00	14	07.00
26 से 45	40	20.00	16	08.00
46 से 55	44	22.00	20	10.00
56 से अधिक	32	16.00	18	09.00
योग	132	66.00	68	34.00

प्रो0 एम0एन0 श्रीनिवास ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए पश्चिमीकरण की प्रक्रिया की अवधारणा को स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'Social Change in Modern India' में स्पष्ट किया है कि पश्चिमीकरण का पर्यायवाची नगरीकरण शब्द में 150 वर्षों से अधिक के अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तन तथा विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा तथा मूल्यों में आए परिवर्तन सम्मिलित हैं। थारू समाज में भी पश्चिमीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। अध्ययन के दौरान 66 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का सकारात्मक उत्तर पाया गया। तालिका 11 के आधार पर उपरोक्त तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- सिंह योगेन्द्र, 1973, मोर्डनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन : ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशल चेंज, थॉमसन प्रेस, पब्लिकेशन डिविजन, नई दिल्ली, पृ0 454
- सिंह योगेन्द्र, 1978, एसेस ऑन मोर्डनाईजेशन इन इंडिया, मनोहर, नई दिल्ली, पृ0 253
- भारत 2013, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ0 356
- एस0सी0, दुबे, 1990, इंडियन सोसाइटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ0 141
- ऑगबर्न, 1922, सोशल चेंज, मैकमिलन, लंदन, पृ0 141
- राल्फ लिंटन, 1936, द स्टडी ऑफ मैन, मैकमिलन, लंदन, पृ0 36
- आर0 बियरस्टेड, 1958, द सोशल ऑर्डर, ओरियन्ट पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ0 36
- राल्फ लिंटन, 1936, द स्टडी ऑफ मैन, मैकमिलन, लंदन, पृ0 63
- एंथोनी गिडेन्स, 2006, समाजशास्त्र, पोलिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, पृ0 168
- रिचर, जार्ज, संपादित, 1996, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, मैक्स वेबर, मैकग्रु हील, न्यू यॉर्क, पृ0 75
- अमर्त्य सेन, 1983, च्वाईस, वेलफेयर एण्ड मेसरमेन्ट, बासिल ब्लैकवेल, ऑक्सफोर्ड, पृ0 262
- रिचर, जार्ज, संपादित, 1996, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, मैक्स वेबर, मैकग्रु हील, न्यू यॉर्क, पृ0 75.

♦❐♦